राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–
सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 13/2013 **जीसीएमएस संख्या 2013/00288**

1. स्नेही पुत्र परमलाराम जाति मेघवाल उम्र 65 वर्ष निवासी डुमोलीखुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....वादी

बनाम

2. शिम्भू
3. प्रभुराम } पुत्र परमलाराम जाति मेघवाल निवासी डुमोलीखुर्द तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं
4. भू–स्वामी जरिए तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं

.....प्रतिववादीगण

दावा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक :– 04–4–2023

वादी की ओर से वाद पत्र निम्नप्रकार से पेश है–

1. वाके ग्राम डुमोली खुर्द तहसील बुहाना स्थित जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के खाता न0 406 के ख0 न0 27 रकबा 0.36है. ख0 न0 191 रकबा 1.20है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.50है0 का वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त खातेदार काश्तकार है।
2. वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में वर्णित भूमि का खाता विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए समस्त खातेदारों का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त व हित उक्त भूमि में है।
3. यह कि वादी सं. 1 का वाद पत्र के खण्ड स. 1 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी, स. 2 का भी 1/3 हिस्सा है तथा हिस्सा के अनुसार ही अपनी भूमि काश्त करते आ रहे है।
4. वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का उक्त भूमि का खाता संयुक्त रहने से लगान देने में भारी परेशानी होती है तथा खाता संयुक्त रूप से रहने के कारण अपनी भूमि का सही रूप से विकास तथा सुधार नहीं कर पाते है इसलिए वादी ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कराना तय किया।
5. वादीगण ने वादपत्र से अनुतोष चाहा कि –

(क) कि वाके ग्राम डुमोलीखुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 के खाता सं0 406 के ख0 न0 27 रकबा 0.36है0 ख0 न0 191 रकबा 1.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56है0 में से वादी के 1/3 हिस्सा भूमि पर ही जाकर उसका खाता विभाजन कर वादी के नाम रिकार्ड राजस्व में अलग खाता कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:53:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या:– 13/2013
स्नेही बनाम शिम्भू आदि
निर्णय दिनांक:– 04–04–2023

(ख) प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जाऐ। कि वे वाके ग्राम डुमोलीखुर्द तहसील बुहाना स्थित जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता सं. 406 के ख. न0 27 रकबा 0.36है0 ख0 न0 191 रकबा 1.20है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56है0 मे वादी के 1/3 वर्णित भूमि में व उसके किसी भी भाग में से मिटटी खुदाई ना करवाये एवं मिटटी खुदाई के लिए किसी को भी किराए आदि पर नहीं देवे। कृषि भूमि की प्रकृति को नही बदले इसमें खड़े आदि ना करे व मिटटी खुदवा कर उबड़–खाबड़ नहीं करवाये। ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 स्वयं करे व नही अन्य किसी से करावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहे। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान सुनी गई।

खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। न्यायालय वाद वादिया बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 को किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रजात रिपॉर्ट दिनांक 27.06.2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादी ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

:: आदेश ::

न्यायालय वाद मे खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता हैं वाके ग्राम डुमोलीखुर्द तहसील बुहाना स्थित जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता सं. 406 के ख. न0 27 रकबा 0.36है0 ख0 न0 191 रकबा 1.20है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 04-04-223 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:53:14 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 13/2013 **जीसीएमएस संख्या 2013/00288**

निर्णय दिनांक :– 04–04–2023

स्नेही बनाम शिम्भू आदि

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सत्यवीर दौराता एडवोकेट की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री रोहित पोषवाल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 04.04.2023 को 04–04–2023 उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"न्यायालय वाद मे खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता हैं वाके ग्राम डुमोलीखुर्द तहसील बुहाना स्थित जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता सं. 406 के ख. न0 27 रकबा 0.36है0 ख0 न0 191 रकबा 1.20है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 04–04–2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 04-04-223 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:53:14 IST
Reason: SelfAttested